समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना - 03/2016-17

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 5043 दिनांकः-07.09.2016 के आलोक में प्रखंड-सह-अंचल मधेपुरा के परिसर में नवनिर्मित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, मधेपुरा के भवन की साफ-सफाई बाह्य स्त्रोत से कराने के निमित इच्छुक संस्थाओं/फर्मो के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 03.11.2016 के अपराह्न 1:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, मधेपुरा में प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में अपराह्न 2 बजे जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा। निविदा की शर्ते मधेपुरा जिला के वेबसाईट http://madhepura.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। (जिलापदाधिकारी, मधेपुरा के निदेशानुसार)

19.10.16

जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।

निविदा की शर्तेः-

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग शील्ड लिफाफे में प्राप्त किया जायेगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।
   - I. अग्रधन के रूप में अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्गत 20000 (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट।
   - II. संस्था/फर्म के निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
   - III. आयकर निबंधन एवं वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
   - IV. सरकारी/ निजी संस्थानों में विज्ञापित सेवाएँ संबंधी कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र।
   - V. संस्था का किसी फौजदारी अथवा दीवानी मामलें में मुकदमा लंबित नहीं होने एवं किसी सरकारी/ निजी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं रखने का शपथ पत्र।
3. तकनीकी निविदा शर्त अनुरूप मान्य होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. वित्तीय निविदा में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र आंतरिक एवं बाहरी परिसर के सम्पूर्ण सफाई तथा रख-रखाव की व्यवस्था के लिए संस्था को प्रति वर्गमीटर की दर से प्रतिमाह के लिए दर अंकित करना होगा। केन्द्र के शौचालय, पानी टंकी, उपस्कर आदी की साफ-सफाई हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. केन्द्र की सफाई प्रतिदिन करने हेतु पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी एवं सफाई सामग्रियों की व्यवस्था संस्था द्वारा स्वंय की जायेगी। किसी कर्मी के अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर अन्य सुरक्षित कर्मी की व्यवस्था तुरंत करनी होगी।
6. सफाई कर्मी की ड्रेस एवं पहचान पत्र आदि तैयार किये जाने में व्यय राशि संस्था को स्वयं वहन करना होगा।
7. केन्द्र के आंतरिक भाग एवं शौचालय की सफाई एक से अधिक बार कराई जा सकती है, फलस्वरूप कार्यालय अवधि में कुछ सुरक्षित कर्मी का होना अनिवार्य रहेगा। इस हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. केन्द्र की आंतरिक भाग को संपूर्ण सफाई, बाथरूम में फिनाइल/Harpic /Hand wash/ Bathroom cleaner आदि की दैनिक व्यवस्था तथा तौलियों आदि की सफाई व्यवस्था सप्ताहिक रूप से सुनिश्चित करना होगा।
9. संस्था को किसी प्रकार के परिवहन व्यय एवं अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. विपत्र में आवश्यक करों की कटौती करने के उपरांत भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा।
11. निविदा की शर्तो के अनुरूप संस्था के साथ एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में ही अवधि विस्तार किया जायेगा। अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य संस्था से कार्य कराने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. कार्यदेश निर्गत होने के दो दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में संस्था को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 661 जि0यो0, दिनांक 19/10/2016

प्रतिलिपिः-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पत्र के साथ सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए कहना है कि इसे मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

19.10.16

जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।

19.10.16

19.10.16